करता हुए कंपाती की ओर
से अभिवक्ता श्री वाटेन कु. दिनेश
कुमार ने वकालातनामा पेश किया
पत्रावली बावत आदेश कार्यवाही
दि नांक 27/08/19 को पेश हो
(हस्ताक्षर)

27/08/19 पत्रावली पेश हुई वकील/पैरोकार
सरकार उपस्थित हुए। खाता न. 26 के खातेदारान
की ओर से वकालातनामा पेश किया
बाबूराम पुत्र भागचन्द की ओर से अभिवक्ता
दिनेश कुमार सक्सेना उपस्थित। प्रार्थना
पत्र पर बहस पक्षकारान सुनी गई तहसील
दार ओसियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 131, 136 व संलग्न नक्शा ट्रेस व अन्य
दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया
जिससे स्पष्ट है कि खाता न. 26 की तरमीम
जो पूर्व नक्शा ट्रेस अनुसार हो रखी है तथा
उसमें से अलग तरमीम 26/1 लाल स्याही से
कर रखी है उसके पास ही दूसरी तरफ खा.नं.
26 की शेष भूमि सा.क. के दूसरी तरफ आना
स्पष्ट है तथा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र में भी स्वीकार किया है कि वर्तमान
तरमीम में त्रुटि रही है तथा प्रस्तावित

P.T.O.

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	तरमीम का जो नजरिये नक्शा प्रस्तुत किया है उसी अनुसार नई तरमीम करने हेतु निवेदन किया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। डाबडी ख.नं. 26 के खातेदारान को उक्त तरमीम शुद्धि पर कोई आपत्ति नहीं है। तथा तरमीम शुद्धि हेतु सहमत है जो बाबुलाल पुत्र भागचन्द राम की ओर से अधिवक्ता दिनेश महेश्वरी ने विरोध किया उक्त तरमीम बाबत कोई हित स्पष्ट नहीं है तथा नही उपरोक्त भूमि के खातेदार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित तरमीम जो नजरिया नक्शा प्रार्थना पत्र मे दर्शाया गया है उसी अनुसार नई सीमांकन मे ख.नं. 26 डाबडी की भूमि निकलती है उसी अनुसार वर्तमान तरमीम को निरस्त की जाकर प्रस्तावित तरमीम नजरिए नक्शे अनुसार सुनिश्चित की जावे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जावे है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) नायब तहसीलदार, बोरुन्दा	